राजस्थान सरकार

श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक F.1(28)CIFB/16/727 दिनांक 09-06-2016

आदेश

राज्य में कारखानों, उद्योगो एवं वाणिज्यक संस्थानों के विकास एवं उन्हे विभिन्न श्रम कानूनो के अन्तर्गत भरे जाने वाली विविरणियों की बहुलता से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण हेतु तथा श्रमिको के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण प्रावधानो के साथ समझौता किए बगैर उद्यमियों/ नियोजको द्वारा श्रम कानूनो का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय अधिनियम "The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Act, 2014" के क्रम में श्रम विभाग व कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग से सम्बन्धित **सभी श्रम कानूनो के अन्तर्गत एकीकृत एक ही रिटर्न** भरे जाने का प्रावधान उक्त दोनो विभागों की ऑन लाइन वेब एप्लीकेशन क्रमशः LDMS व Rajfab पर किया जा कर लागू हो चुका है।

अतः किसी कारखाना, उद्योग एवं वाणिज्यक संस्थान द्वारा ऑन लाइन वेब एप्लीकेशन LDMS पर **सभी श्रम कानूनो के अन्तर्गत एकीकृत एक ही रिटर्न** प्राप्त होने पर इसकी सूचना web service के द्वारा ऑन लाइन वेब एप्लीकेशन Rajfab पर उक्त कारखाने, उद्योग एवं वाणिज्यक संस्थान से सम्बन्धित रिकॉर्ड में स्वतः ही दर्ज होने अथवा Rajfab पर **सभी श्रम कानूनो के अन्तर्गत एकीकृत एक ही रिटर्न** प्राप्त होने पर इसकी सूचना web service के द्वारा LDMS पर उक्त कारखाने, उद्योग एवं वाणिज्यक संस्थान से सम्बन्धित रिकॉर्ड में स्वतः ही दर्ज होने की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से किए जाने के आदेश दिए जाते है।

किसी भी कारखाने, उद्योग एवं वाणिज्यक संस्थान द्वारा उक्त दोनो ऑन लाइन वेब एप्लीकेशन LDMS व Rajfab में से किसी भी एक पर **सभी श्रम कानूनो के अन्तर्गत एकीकृत एक ही रिटर्न** प्रेषित किये जाने पर वह रिटर्न दोनो विभागों के लिये पूर्णतया वैध व मान्य होगी।

9/6

(रजत कुमार मिश्र)
शासन सचिव